राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/8 बी   जयपुर, दिनांकः 4.9.2000

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/8 दिनांक 31 मार्च, 1997 (समय–समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, इसके द्वारा इसमें इसके नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ सं. 1 में विनिर्दिष्टानुसार अनन्यतः नगर पालिक सीमाओं/नगर सुधार न्यास की सीमाओं के भीतर चलने वाली मंजिली गाड़ियों पर विशेष पथकर की दर, उसके स्तम्भ 2 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर, तुरन्त प्रभाव से विहित करती हैः–

सारणी

परिवहन यान का वर्णन	**विशेष सड़क कर की वार्षिक दर**
1	**2**
अनन्यतः नगर पालिक सीमाओं/नगर सुधार न्यास की सीमाओं के भीतर चलने वाली मंजिली गाड़ियां, जहां–	
(क) 2,00,000 रु. तक की लागत का यान	यान की कीमत का 1.2 प्रतिशत
(ख) 2,00,000 रु. तक के ऊपर की लागत का यान	यान की कीमत का 1.5 प्रतिशत
(ग) 4,00,000 रु. तक की लागत का चैसिस	चैसिस की कीमत का 0.70 प्रतिशत
(घ) 4,00,000 रु. के ऊपर की लागत का चैसिस	चैसिस की कीमत का 0.80 प्रतिशत

परन्तु मोटर यान कर को सम्मिलित करते हुए विशेष सड़क कर की कुल रकम निम्नलिखित से अधिक नहीं होगीः–

(i) ड्राईवर और कण्डक्टर को अपवर्जित करते हुए 24 तक की सीट क्षमता वाले यान के लिए 4000/–रु. प्रतिवर्ष ।

(ii) ड्राईवर और कण्डक्टर को अपवर्जित करते हुए 25 किन्तु 30 से अनधिक की सीट क्षमता वाले यान के लिए 5000/–रु. प्रतिवर्ष ।

(iii) ड्राईवर और कण्डक्टर को अपवर्जित करते हुए 30 से अधिक की सीट क्षमता वाले यान के लिए 10,000/–रु. प्रतिवर्ष ।

टिप्पण :– किसी मोटर यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो राजस्थान वित्त अधिनियम, 1997 के अध्याय–V के उपबन्धों

के अधीन जारी की गयी इस अधिसूचना के प्रवृत होने के पूर्व किसी कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर, जो सम–समय पर ऐसे यानों पर लागू थी, संदत्त की जायेगी ।

स्पष्टीकरण : कर की गणना के लिए यान/चैसिस की लागत, वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 में उपबंधित है ।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव